भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।
(E-mail id - dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या /उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2026–27, दिनांक 13 मई 2026

कार्यालय आदेश

राज्य के चार मैदानी जनपदों में अवैध खनन/अवैध खनिज परिवहन के प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Development and Maintenance of Mining Digital Transformation & Surveillance System (MDTSS) लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी जनपदों में स्वीकृत खनन पट्टों/अनुज्ञाओं/रिटेल भण्डारणों/स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लांटों/मोबाईल स्टोन क्रेशरों/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों/पल्वाराईजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लान्टों आदि में स्थापित कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा को MDTSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन किया जाना है। इस सम्बन्ध में कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के द्वारा प्रथम फेज में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों में स्थापित कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा (Weighbridges) एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा को इंटीग्रेट किये जाने हेतु सूचना प्रकाशित की गयी थी तथा इस हेतु MDTSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन Mineral Management (URL:https/ mms.ukmdtss.in) की ए0पी0आई0 के विवरण एवं तकनीकी मानक की सूचना विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in पर अपलोड की गयी, जिसके अन्तर्गत स्टोन क्रेशरों/स्क्रीनिंग प्लांटो की ए0पी0आई0 इन्टीग्रेशन की जा रही है।

उक्त के क्रम में **समस्त मोबाईल स्टोन क्रेशरों/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों/पल्वाराईजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लान्ट स्वामियों को निर्देशित किया जाता** है अपने–अपने प्लांटों की ए0पी0आई0 एवं सी0सी0टी0वी0 **कैमरा को 31 मई, 2026 तक** विभागीय MDTSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन Mineral Management (URL:https/ mms.ukmdtss.in) की ए0पी0आई0 की ए0पी0आई0 से इन्टीग्रेट करना सुनिश्चित करें। दिनांक 01 जून, 2026 से केवल इंटीग्रेटेड कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा (Weighbridges) एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा युक्त मोबाईल स्टोन क्रेशरों/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों/पल्वाराईजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लान्टों को ही ई–रवन्ना निर्गत होगें।

आज्ञा से,
निदेशक

संख्या 467 /उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2026–27, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त योजना को लागू कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त मोबाईल स्टोन क्रेशरों/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों/पल्वाराईजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स स्वामियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त तिथि से पूर्व MDTSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ वेबब्रिज एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा के ए0पी0आई0 को इन्टीग्रेटेड करना सुनिश्चित करें।

13/05/26

(अनिल कुमार)
अपर निदेशक